उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर, अलीगंज, लखनऊ पिनकोड–226024

संख्याः 1256 /टी0पी0पी0/कौ0वि0मि0/2066

लखनऊ, दिनांक 26 अगस्त, 2021

सेवा में,

समस्त जिला समन्वयक,
जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
उ0प्र0 कौशल विकास मिशन,
उत्तर प्रदेश।

विषयः दिव्यांग प्रशिक्षार्थियों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत 3 प्रतिशत लक्ष्य दिव्यांग जनो के प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत है। उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दिव्यांगजनो के प्रशिक्षण के लिये मिशन द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवद्ध किया गया है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1238/कौ0वि0मि0/टी0पी0पी0/2066/2020–21 लखनऊ दिनांक 24 अगस्त, 2021 द्वारा उन्हें लक्ष्यों का आवंटन भी कर दिया गया है।

दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण हेतु जहॉ प्रशिक्षण केन्द्रो में विशिष्ट व्यवस्थायें सुनिश्चित की जानी है तथा प्रशिक्षणार्थियों की दिव्यांगता की प्रकृति (Nature Of Disability) के आधार पर प्रशिक्षण सामग्री, उपकरणो (Teaching Aids and Tools) तथा प्रशिक्षित प्रशिक्षको (Trained Trainer) की व्यवस्थायें सुनिश्चित की जानी है, वहीं यह भी आवश्यक है कि दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों के चयन में पूर्व सतर्कता रखी जाये और केवल पात्र व अर्ह प्रशिक्षणार्थी ही चयनित किये जायें।

इसके लिये यह आवश्यक है कि जनपद में निवास करने वाले दिव्यांगजनों की प्रमाणित सूची (उनकी दिव्यांगता के प्रकार सहित) जिला विकलांग कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर ली जायें तथा उनके सहयोग/संस्तुति से ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाये। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु चयनित किये गये दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रो की सत्यापित प्रति भी जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कर्यालय में संरक्षित रखी जाये। बैचो के अनुमोदन के समय उक्त आशय का प्रमाण पत्र भी अंकित किया जाये।

उक्त आदेशो के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा विचलन के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

भवदीय
26/8/21
(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्याः /टी0पी0पी0/कौ0वि0मि0/2066

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त आबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता (PwD), उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
4. सहायक निदेशक, आई0टी0 प्रकोष्ठ को पोर्टल पर बैचो के अनुमोदन के समय दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड या अंकित किये जाने का प्रविधान पोर्टल पर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।
5. गार्ड फाइल।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक